राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 12(7)कार्मिक/क–2/2014 जयपुर, दिनांक : 16 AUG 2016

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को यथा संभव उसी विभाग में, जहां पर कि मृतक राज्य कर्मचारी नियोजित/कार्यरत था, नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान विद्यमान है।

इसी संदर्भ में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 20.04.2001 को परिपत्र जारी कर समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों का ध्यान उक्त नियम, 1996 के नियम 10 के उप नियम (5) एवं (6) की ओर आकर्षित करते हुए, निर्देशित किया गया था कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रकरण कार्मिक विभाग को उसी स्थिति में अग्रेषित किये जावें, जबकि उनके अपने विभागों में वेतन श्रृंखला 1 से 9ए के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाला कोई भी पद रिक्त नहीं हो अथवा आवेदनकर्ता उसके लिए पात्र नहीं हो।

नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही नहीं की जाकर आवेदकों के प्रार्थना पत्र कार्मिक विभाग को इस आशय के प्रमाण –पत्र के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि आवेदित पद रिक्त नहीं है। यहां तक कि कई विभाग इस आधार पर भी प्रकरण कार्मिक विभाग को भेज देते हैं कि आवेदित पद की रिक्ति आवेदक की आरक्षण श्रेणी में उपलब्ध नहीं है। यह प्रकिया उचित नहीं है।

इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि आवेदनकर्ता ने जिस पद के लिए आवेदन किया है, उसी पद पर उसको नियुक्ति दी जावे, न ही यह आवश्यक है कि संबंधित आरक्षित श्रेणी की रिक्ति पर ही अनुकम्पा नियुक्ति दी जावे। आवेदनकर्ता को विभाग के ग्रेड वेतन संख्या 1 से 10 (रूपये 1300/– से 2800/–) तक के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले किसी भी रिक्त पद पर, जिसके लिये वह पात्र हो, नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति दिये जाने का उद्‌देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरन्त राहत पहुंचाना है। अतः कार्मिक विभाग को आवेदन पत्र उसी स्थिति में अग्रेषित किया जाना चाहिये जबकि विभाग में उसकी योग्यता के अनुरूप ग्रेड वेतन संख्या 1 से 10 (रूपये 1300/– से 2800/–) तक का कोई भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो, जिसके लिये आवेदक पात्र हो।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को पुनः विनिर्दिष्ट किया जाता है कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के नियम 10 (5) एवं (6) तथा परिपत्र दिनांक 20.04.2001 की प्रकिया की कठोरता से पालना की जावे तथा आवेदक द्वारा निम्नतर वेतनमान का पद स्वीकार न करने व आवेदित पद की प्रतीक्षा करने की स्थिति में विभाग द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से दो वर्ष तक प्रतीक्षा सूची में रखने के उपरान्त ही प्रकरण/मामला अन्यत्र विभाग में नियुक्ति हेतु कार्मिक विभाग को भेजा जावे।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2 सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3 सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4 सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
5 पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6 रक्षित पत्रावली।

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव